रजिस्ट्री सं. डी. एल.–(एन)04/0007/2003–09 REGISTERED NO. DL-(N)04/0007/2003-09

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड I

PART II – Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2009/फाल्गुन 15, 1930
No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2009/PHALGUNA 15, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि तथा न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च 2009/फाल्गुन 15, 1930 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 6 मार्च 2009 को राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हुई तथा इससे एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है: –

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009 का 20

[6 मार्च, 2009]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 में संशोधन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम कहा जाएगा।

(2) यह अधिनियम 13 अक्टूबर 2008 से लागू माना जाएगा।

खण्ड 2 को संशोधन

1986 का 2

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में खण्ड 2 में –

(क) वाक्य खण्ड (जी) में ''अनुसूचित उत्पादों'' शब्दों के स्थान पर यथास्थिति ''अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) वाक्य खण्ड (आई) में ''अनुसूची'' शब्द के स्थान पर ''प्रथम अनुसूची'' शब्द रखा जाएगा।

(ग) वाक्य खण्ड (आई) के बाद निम्नलिखित वाक्यखण्ड जोड़ा जाऐगा, नामतः –

'(आई) ''विशेष उत्पाद'' से तात्पर्य दूसरी अनुसूची में शामिल किसी भी कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से है।'

खण्ड 3 के लिए नया खण्ड जोड़ना

3. मूल अधिनियम के खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगाः —

अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति

''3 इस अधिनियम के उद्देश्यों को लेकर यदि केन्द्र सरकार आवश्यक समझे तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके पहली या दूसरी अनुसूची में से किसी भी कृषिगत या प्रसंस्कृत उत्पाद को जोड़ या हटा सकती है तथा हटाए जाने पर वह उत्पाद अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद नहीं रह जाएगा।''

खण्ड 4 में संशोधन

4. मूल अधिनियम के खण्ड 4 में उपखण्ड (4), वाक्यखण्ड (एच), उपवाक्यखण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित उपवाक्यखण्ड रखा जाएगा, नामतः —

''(iii) अन्य अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद उद्योगः''

नया खण्ड 10 ए जोड़ना

5. मूल अधिनियम के खण्ड 10 के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा नामतः —

विशेष उत्पादों आदि के बारे में कार्य

'10 ए किसी समय विशेष में प्रचलित किसी कानून को प्रभावित किए बिना भारत के भीतर अथवा बाहर विशेष उत्पादों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपाय करना प्राधिकरण का दायित्व होगा।'

व्याख्या — इस खण्ड के प्रयोजनार्थ ''बौद्धिक सम्पदा'' से तात्पर्य अमूर्त सम्पत्ति नामतः ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट, भौगोलिक संकेत अथवा किसी समय विशेष के लिए लागू कानून के तहत कोई अन्य समान अमूर्त सम्पत्ति के अधिकार से है।''

खण्ड 12 में संशोधन

6. मूल अधिनियम के खण्ड 32 में वाक्यखण्ड (एच) के बाद उपखण्ड (2) में निम्नलिखित वाक्यखण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः —

'खण्ड 10 ए के तहत बौद्धिक सम्पदा अधिकार के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए उपाय (एच ए)'

नया खण्ड 35 जोड़ना

7. मूल अधिनियम के खण्ड 34 कें बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः —

मान्यकरण

''13 अक्टूबर 2008 को या उसके बाद से लेकर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के लागू होने की तारीख से तत्काल पहले समाप्त अवधि के दौरान सभी बातें करने या न करने तथा सभी कार्य या उपाय करने या न करने के बाद यथासंशोधित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 अधिनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न मानी जाएगी जब तक कि उक्त अवधि के दौरान मानो ये प्रावधान लागू थे।''

अनुसूची में संशोधन

8. मूल अधिनियम की अनुसूची को पहली अनुसूची की संख्या दी जाएगी तथा पहली अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, नामतः —

''दूसरी अनुसूची''

(खण्ड 2 (जे) देखें)

बासमती चावल।''

वी. के. भसीन

अपर सचिव, भारत सरकार